17.2.25

पत्रावली आज पेशी में ली गई। ~~स्वयं~~ अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 17.1.25 द्वारा का अध्ययन किया जिसमें प्रश्नगत रकबा ~~म~~ चक 20 NDR खाता सं. 101 प.न. 141/ मु.न. 1 कि.न. 1ता10 कुल 2.530 हे. दर्ज प्री-55 पूर्व का आराजी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा Pre 55 घोषित हो चुका है। जमाबन्दी में दर्ज उक्त रकबे को खातेदारी अधिकार दिए की जाने तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अनुशंषा की गई। पत्रावली का अवलोकन किया व उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित खातेदारी प्रस्ताव का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 15 AAA में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत चक 20 NDR खाता सं. 101/84 में दर्ज प. नं. 131/350 मु.न. 41 कि.न. 1ता10 कुल आराजी 2.530 हे. कमाण्ड भूमि को मूल आवंटी सरदारा पुत्र जीता को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। खातेदारी आदेश अलग से जारी हो। पालना आदेश तहसीलदार हनुमानगढ़ को भिजवाया जावे। आदेश आज न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद कार्यवाही बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 12:46:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़